संख्या– 1190 / सत्तर–1–2019–16(114)/2010

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

लखनऊ : दिनांक : 15 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2019

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

विषय:– "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" के सम्बन्ध में।

महोदय,

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" के विनियमों को शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1–2019–16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में सम्मिलित करते हुये समस्त राज्य विश्वविद्यालय से विनियमों को अपने परिनियमों में यथा स्थान समाविष्ट करते हुये दिनांक 30 जून, 2019 के पूर्व अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2– उक्त शासनादेश के अनुपालन में राज्य विश्वविद्यालयों के स्तर पर परिनियमों में सम्मिलित करने एवं अनुपालन आख्या शासन को निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1–2019–16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" को सम्मिलित करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैं। शासनादेश संख्या–600/सत्तर–1–2019–16(114)/2010 दिनांक 28 जून, 2019 के संदर्भ में निर्मित परिनियमों की प्रति संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

15.10.2019

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

....2/

संख्या- (1)/सत्तर-1-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
2- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
5- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें तथा शासन को अवगत करायें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव

CASGO